न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या–117/2013–14

श्री कय्यूम

–बनाम–

श्री मोहनजी मनचन्दानी आदि

उपस्थितिः श्री विनोद चन्द्र रावत, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता अपीलार्थी : श्री सुनील कुमार त्यागी।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री आदित्य मदान।

बावत

मौजा डाण्डा नूरीवाला, परगना परवादून
तहसील व जनपद देहरादून।

निर्णय

यह द्वितीय अपील विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा अपील संख्या–11 वर्ष 2013–14 महबूब आदि बनाम श्री मोहन मनचन्दानी आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 06–06–2014 एवं विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून द्वारा वाद संख्या–24/2006–07 अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम हबीब बनाम मोहनजी मनचन्दानी आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 21–05–2012 के विरूद्व योजित की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता एवं प्रतिउत्तरदाता संख्या–5 से 9 के पिता द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपने अधिकारों की घोषणा हेतु सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून के न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम प्रस्तुत किया गया। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून ने उभयपक्षों की सुनवाई के पश्चात अपने निर्णयादेश दिनांक 21–05–2012 से वाद निरस्त किया गया। सहायक कलेक्टर द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 21–05–2012 के विरूद्व निगरानीकर्ता ने न्यायालय राजस्व परिषद में निगरानी प्रस्तुत की जो विद्वान सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद के आदेश दिनांक 08–01–2014 से इस विवेचना सहित निगरानीकर्ता को निगरानी इस विवेचना सहित वापस लौटाई गई कि निगरानीकर्ता द्वारा धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में सहायक कलेक्ट द्वारा पारित निर्णयादेश के विरूद्व सीधे राजस्व परिषद में धारा–333 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है जबकि उनके पास आयुक्त न्यायालय में प्रथम अपील योजित किए जाने का विकल्प विद्यमान था और सीधे राजस्व परिषद में निगरानी योजित किए जाने से द्वितीय पक्ष का एक निगरानी/वावद योजित किए जाने का अधिकार समाप्त हो जायेगा जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। न्यायालय राजस्व परिषद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–01–2014 के अनुपालन में निगरानीकर्ता द्वारा आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ने उभयपक्षों को सुनने के पश्चात अपने निर्णयादेश दिनांक 06–06–2014 से अपील

निरस्त की गई। आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं सहायक कलेक्टर द्वारा पारित निर्णयादेशों के विरूद्व यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में योजित की गई है।

अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि द्वितीय अपील में सारवान विधिक बिन्दु निर्मित किये जाने आवश्यक हैं। विचारण न्यायालय द्वारा बिना कोई विधिक बिन्दु निर्मित किए ही वाद का अन्तिम निस्तारण कर दिया गया जो विधिक रूप से त्रुटियुक्त है। वादग्रस्त भूमि प्रतिउत्तरदातागण द्वारा आज कि या उनसे पूर्व किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अपीलार्थी एवं प्रारूपी पक्षकारगण व उसके दादा के विरूद्व किसी भी सक्षम न्यायालय में बेदखली की कार्यवाही नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी के दादा के समय से अनाधिकृत अधिपत्य चला आ रहा है। बेदखली का वाद योजित करने की समय सीमा भी विधि में दी गई व्यवस्थाओं के तहत काफी समय पूर्व निकल चुकी है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी एवं प्रारूप पक्षकारगण का अन्तर्गत धारा–210 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत मूल स्वामी के समस्त अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। सिविल न्यायालय एवं सहायक अभिलेख अधिकारी के निर्णयादेशों की गलत विवेचना कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वाद निरस्त किया गया है जो विधिक रूप से त्रुटियुक्त है। विधि में दिए गए प्राविधानों के अनुसार धार–54(6) में पारित आदेश किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय में जोत में अधिकार के आधार पर वाद योजित करने से बाधित नहीं करती है। अवर न्यायालयों को सर्वप्रथम विधि एवं तथ्यों के आधार पर वाद बिन्दु निर्मित होने के पश्चात ही विधिक बिन्दुओं की विवेचना करते हुए वाद का गुणदोष के आधार पर निर्णय करना चाहिए था। अवर न्यायालयों के निर्णयादेश त्रुटियुक्त हैं एवं निरस्त होने योग्य हैं। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा आर0डी0 2011(112) पृष्ठ 40 मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विधिक व्यवस्था भी प्रस्तुत की गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता का तर्क है कि इस द्वितीय अपील में कोई सारवान विधिक बिन्दु नहीं बनता है। सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्व कोई अपील किसी सक्षम न्यायालय में योजित नहीं की गई है और सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित आदेश पक्षकारों रेसज्यूडीकाटा है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। यह भूमि प्रतिउत्तरदाता ने विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है जिसपर प्रतिउत्तरदाता का कब्जा–काश्त है। प्रश्नगत भूमि पर वर्ग–9 का इन्द्राज को गलत मानते हुए इन्द्राज खारिज करने के आदेश पारित किए गए थे इस तथ्य को अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय से छुपाया गया है। अपीलार्थी का वाद पोषणीय नहीं है और द्वितीय अपील में कोई सारवान विधिक बिन्दु निहित नहीं है। अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता ने 2009(77) ए0एल0आर0 पृष्ठ–122, ए0आई0आर 1994 पृष्ठ–853, 2007(2) यू0सी0 पृष्ठ–780, 2012(4) आर0सी0आर0(सिविल) पृष्ठ–727 एवं आर0डी0 2002(93) पृष्ठ–653 की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गईं।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावलियों में रक्षित अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया। विद्वान सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णयादेश दिनांक 21–05–2012 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सहायक अभिलेख अधिकारी के न्यायालय के निर्णय दिनांक 13–12–93 से वादी के पूर्वजों मजीद पुत्र रमल तथा इस्माईल पुत्र रमल का वर्ग–9 का इन्द्राज निरस्त किया गया है जिसकी जानकारी वादी हबीब को पूर्व से ही है। इस निर्णय के विरूद्व वादी हबीब द्वारा कोई अपील योजित नहीं की गई है। वादी द्वारा सिविल न्यायालय में दायर वादों में भी वादी को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के निर्णयादेश दिनांक 13–12–93 में उल्लिखित इस तथ्य कि वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की है के आलोक में विचारण न्यायालय में उपलब्ध वादी हबीब के प्रतिवादी संख्या–2 के

प्रतिवाद के खण्डन पत्र दिनांक 24–05–2007 का भी अवलोकन किया। इस खण्डन पत्र के पृष्ठ–1 के पैरा–3 में वादी हबीब ने स्वंय यह कथन किया है कि जो भूमि वादी के कब्जे में है वह भूमि स्व0 सुग्गनचन्द पुत्र छज्जू जाति चमार–हरिजन के खाते की असंक्रमणीय भूमि के अधिकार वाली भूमि है और भूमि का अवैध कय–विकय हुआ है। यह तथ्य स्पष्ट है कि जब वादी स्वंय इस तथ्य को स्वीकार करता है कि प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की है तो वादी का वाद अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा भली–भाँति परीक्षण के पश्चात ही प्रश्नगत निर्णयादेश पारित किये गये हैं जिनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में द्वितीय अपील में कोई सारवान विधिक बिन्दु निहित न होने एवं बलयुक्त न होने के कारण द्वितीय अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

बलयुक्त न होने के कारण द्वितीय अपील निरस्त की जाती है। अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियाँ वापस हों तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(विनोद चन्द्र रावत)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 28/3/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(विनोद चन्द्र रावत)
सदस्य(न्यायिक)।